

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 215/2014/अलवर
अपील संख्या 216/2014/अलवर
अपील संख्या 217/2014/अलवर
अपील संख्या 218/2014/अलवर

मैसर्स सौरभ एग्रोटेक प्रा.लि.,
अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, अलवर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह,
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 21/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा ये चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-बी, अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 एवं 28.09.2012 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 53(4) के तहत निम्नानुसार Early Refund एवं Refund की राशि पर विलम्ब अवधि के चाहे गये ब्याज को अस्वीकार कर दिया।

क्र.सं.	अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण आदेश दिनांक	Refund Amount
1.	215/2014	2006-07	30.03.2009	12,53,779 / - 15,77,204 / -
2.	216/2014	2007-08	23.03.2010	27,73,923 / -
3.	217/2014	2008-09	27.07.2010	65,67,756 / -
4.	218/2014	2009-10	29.07.2011	52,71,835 / -

2. चूंकि चारों ही प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही हैं।

लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी खाद्य तेल के निर्माता एवं विक्रेता है। आयुक्त महोदय के परिपत्र के अनुसरण में व्यवहारी को अधिनियम की धारा 17(2) के अन्तर्गत सरसों तेल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल सरसों की खरीद पर चुकाये गये आगत कर राशि के Early Refund विभाग द्वारा जारी किये गये थे, इस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा Early Refund राशि समय पर प्रदान नहीं किये जाने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ब्याज की मांग के संदर्भ में सशक्त अधिकारी के समक्ष पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलार्थी के आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया।
4. सशक्त अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.10.2013 द्वारा यह निर्णय किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी को वैट अधिनियम की धारा 53(4) में रिफण्ड पर ब्याज उसके जमा की तिथि से देय होने का प्रावधान आगत कर संबंधी रिफण्ड पर गणनायोग्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलें पेश की गयी है।
5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी सरसों तेल के विनिर्माता होने के कारण सरसों तेल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल सरसों की खरीद पर अधिक चुकाये गये अधिक आगत कर राशि के Early Refund विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। अधिनियम की धारा 17(2) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि : "In case the dealer claim refund of the balance amount, if any at the end of the year, the same shall be granted only after the end of the immediately succeeding year." इसमें यह नहीं लिखा गया कि विलम्ब से जारी किये गये रिफण्डों में ब्याज नहीं मिलेगा। अधिनियम की धारा 53(4) के तहत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि Refund पर ब्याज मिलेगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.04.2011 को संशोधित कर दिया, परन्तु उपरोक्त प्रकरण 15.04.2011 के पूर्व के होने के कारण यह संशोधित आदेश, इन प्रकरणों पर लागू नहीं होता। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, कथन किया कि अधिनियम की धारा 53 में रिफण्ड एवं उस पर देय ब्याज के संबंध में सामान्य प्रावधान किये गये हैं जबकि आगत कर आधिक्य के संबंध में उसके समायोजन अथवा रिफण्ड आदि के संबंध में विशिष्ट प्रावधान अधिनियम की धारा 17(2) में निर्धारित किये गये हैं, एवं अधिनियम में दिये गये सामान्य प्रावधानों पर विशिष्ट प्रावधान को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने आगे अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। ब्याज की देयता सम्बन्धी विधिक प्रावधानों पर विचार किया गया।
9. सर्वप्रथम ब्याज सम्बन्धी प्रावधानों को उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार थे:-

53. Refund. - (From 01-04-2006 to 31-07-2014)

- (1) Where any amount is refundable to a dealer under the provisions of this Act, after having duly verified the fact of deposit of such amount, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner, shall in the prescribed manner refund to such dealer the amount to be refunded either by cash payment or by adjustment against the tax or other sum due in respect of any tax period.
- (2) Notwithstanding anything contained in this Act, where a registered dealer files a return and claims refund on account of sales in the course of export outside the territory of India, the assessing authority or officer authorised by the Commissioner may require such dealer to furnish such documents as may be prescribed and after having been satisfied shall within thirty days from the date of such claim, grant the dealer a refund in cash.
- (3) Where an amount or tax is collected from any person who is not registered under this Act and such amount or tax is not found payable by him, or where an amount in lieu of tax for any works contract is deducted in any manner by an awarder from any bill of payment to a contractor, who is not liable to pay tax under this Act, the amount so collected or deducted shall be refunded in the prescribed manner by the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer, as the case may be, in whose territorial jurisdiction such person or contractor ordinarily resides; and where such person or contractor does not reside in the State, then such refund shall be made by such officer as may be directed by the Commissioner.
- (4) **The refund amount under this section shall carry interest with effect from the date of its deposit at such rate as may be notified by the State Government from time to time.**
- (5) Notwithstanding anything contained in this section or in any other law for the time being in force, only the dealer or the person, who has actually suffered the incidence

लगातार.....4

of tax or has paid the amount, can claim a refund and the burden of proving the incidence of tax so suffered or the amount so paid shall be on the dealer or the person claiming the refund.

- (6) Where tax is collected on any official or personal purchase by Foreign Diplomatic Missions or their Diplomats or by UN Bodies or their Diplomats, it shall be refunded to such person or Mission or Bodies, as the case may be, within thirty days of the receipt of the application, by such officer as may be authorised by the State Government in this behalf by notification.

10. रिफण्ड पर ब्याज सम्बन्धी वेट अधिनियम की उक्त धारा 53 में निर्यातकों (Exporters), अपंजीकृत व्यवसायियों, कार्य संविदाकारों अथवा गलती से राशि का जमा होना या अधिक राशि जमा होना जैसी स्थिति अनुसार रिफण्ड देने के प्रावधान हैं। उक्त धारा में किसी व्यवहारी द्वारा स्वयं द्वारा अधिक राशि जमा होना या किसी सशक्त अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सृजित मांग का जमा करा देना, परन्तु बाद में अपीलीय आदेशों से रिफण्ड योग्य होने पर भी रिफण्ड का अवसर उत्पन्न होता है। अलग-अलग परिस्थितियों से होने वाले रिफण्ड पर ब्याज किस तरह से देय होगा, उसके प्रावधान उक्त धारा 53 की उपधारा (4) में किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 53(4) में सर्वप्रथम दिनांक 01.04.2006 से रिफण्ड राशि पर उसकी जमा की तारीख से ब्याज देना प्रावधित किया गया था।

11. वेट अधिनियम की धारा 53 के प्रकाश में नियम 27 में आई.टी.सी. या अधिक जमा राशियों के कर निर्धारण के रिफण्ड किये जाने की प्रक्रिया दी गयी है। साथ ही कर निर्धारण में धारा 17 के तहत अधिक आई.टी.सी. के रिफण्ड अधिनियम की धारा 17(2) के प्रावधान अनुसार व्यवहारी के द्वारा अधिक आई.टी.सी. को रिफण्ड करने के आवेदन पर ही रिफण्ड दिया जाने का उल्लेख है। धारा 17(2) निम्न प्रकार है :-

12. **Tax payable by a dealer. -**

(1)

- (2) Where the net tax payable under sub-section (1) has a negative value, the same shall be first adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act and the balance amount if any, shall be carried forward to the next tax period or periods. In case the dealer claims refund of the balance amount, if any, at the end of the year, the same shall be granted only after the end of the immediately succeeding year. However, the Commissioner after recording reasons for doing so may, by a general or specific order, direct to grant such refunds even earlier.

13. अपीलार्थीगण का रिफण्ड धारा 17(2) के अनुसार अधिक आई.टी.सी. से सम्बन्धित है एवं उक्त धारा के अनुसार क्रमशः वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 को रिटर्न में रिफण्ड मांगे जाने पर ही आगत कर के रिफण्ड प्रकरण विचाराधीन थे, जो सम्बन्धित वर्ष के समाप्त होने के एक वर्ष बाद ही देय थे।

14. चूंकि समस्त प्रकरण दिनांक 01.04.2011 के पूर्व के हैं, अतः उक्त विधिक परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त कर प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के आदेश में जो Early Refund धारा 17(2) के तहत जारी किए गए हैं, उनको समयावधि में जारी नहीं करने के कारण विलम्ब के लिए गणना करते हुए नियमानुसार रिफण्ड पर ब्याज दिया जावे।
15. फलतः उक्त विवेचन के साथ अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण उपरोक्तानुसार सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।
16. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य